



दिल्ली विश्वविद्यालय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

श्री संजय कुमार सहायक कुलसचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, कमरा संख्या 104, नया प्रशासनिक खण्ड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 दूरभाष संख्या-011-27662658 / 011-27001337 सूचना अनुभाग -011-27662658	श्री गिरीश रंजन वित्त अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 121, नया प्रशासनिक खण्ड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 दूरभाष संख्या-011-27667878
--	--

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के नाम से करना आवश्यक है।
2. इस अधिनियम के तहत आवेदन दायर करने के लिये निर्धारित शुल्क राशि 10/- रु. है, जो कि बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर, जो कि 'कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय' के नाम पर 'दिल्ली' में देय हो, द्वारा जमा कराया जा सकता है। प्रार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट, www.du.ac.in पर शीर्षक 'Important Links' - 'Special Links' - 'Miscellaneous Online Fee Payment' - 'Miscellaneous Fee' - 'Fee' - 'RTI Fees' के तहत ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।
3. गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग के नागरिकों के लिए शुल्क में छूट का प्रावधान है। ऐसे नागरिकों को अपने आवेदन के साथ बी.पी.एल. कार्ड की प्रतिलिपि भेजना आवश्यक है।
4. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के निर्णय के उपरांत प्रार्थी वित्त अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के तहत अपनी प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।
5. इसके अलावा, प्रार्थी केन्द्र सरकार के आर.टी.आई. ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लिंक, <https://rtionline.gov.in/> के माध्यम से भी आवेदन तथा प्रथम अपील दायर कर सकते हैं।